दिनांक 19.07.2024
प्रेस विज्ञप्ति 23/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद शामली/थाना झिंझाना

- **पुलिस कार्यवाही में 25–25 हजार रूपये के 02 पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 01 लाख 01 हजार रूपये नगद**
- **लूटी गयी चॉदी के आभूषण**
- **घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 19.07.2024 को थाना झिंझाना व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम गढ़ीहसनपुर के जंगल में कच्ची गढ़ी को जाने वाले रास्ते पर बदमाशों की घेराबन्दी की गयी तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी, जिसमें एक मुख्य आरक्षी घायल हो गये। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त 1–सिमरनजीत 2–अनस घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 01 लाख 01 हजार रूपये नगद, लूटी गयी चॉदी के आभूषण, घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त थाना झिंझाना पर पंजीकृत अभियोग में वॉछित चल रहे थे, जिनकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25–25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना झिंझाना पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1—सिमरनजीत निवासी ग्राम बीबीपुर हटिया डेरा संगतपुरा थाना कैराना जनपद शामली।

2—अनस निवासी अकबरपुर सुनहटी थाना कैराना जनपद शामली।

<u>बरामदगी</u>

1—लूट के 01 लाख 01 हजार रूपये नगद।

2—लूटी गयी चॉदी के आभूषण।

3—घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल।

4—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस।

<u>जनपद बरेली/थाना बिथरी चैनपुर</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **15 हजार रूपये नगद**
- **चोरी के 10 टायर**
- **01 बुलेरो वाहन (बिना नम्बर)**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद**

दिनॉकः 19.07.2024 को थाना बिथरी चैनपुर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर हाईवे के पास पुरनापुर जाने वाले खडंजे पर पुलिस कार्यवाही में 02 अभियुक्त 1—संजय 2—जलालुद्दीन उर्फ राजा घायल हो गये, जिन्हें गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 15 हजार रूपये नगद, चोरी के 10 टायर, 01 बुलेरो वाहन (बिना नम्बर), 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त संजय के विरूद्ध जनपद बरेली के विभिन्न थानों पर हत्या का प्रयास, चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट, गैंगेस्टर एक्ट आदि के 22 अभियोग व अभियुक्त जलालुद्दीन उर्फ राजा के विरूद्ध जनपद बरेली के विभिन्न थानों पर डकैती, चोरी, हत्या का प्रयास, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना बिथरी चैनपुर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—संजय निवासी सेखान नवादा थाना बारादरी जनपद बरेली।

2—जलालुद्दीन उर्फ राजा निवासी देवचरा थाना भमौरा जनपद बरेली।

बरामदगी

1—15 हजार रूपये नगद।

2—चोरी के 10 टायर।

3—01 बुलेरो वाहन (बिना नम्बर)।

4—02 अवैध तमंचा 315 बोर मय खोखा कारतूस।

जनपद खीरी/थाना कोतवाली सदर

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **08 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 72 हजार 150 रूपये नगद**
- **चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण**
- **03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन बरामद**

दिनांक 19.07.2024 को थाना कोतवाली सदर, थाना खीरी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नौरंगाबाद मोड के पास से 08 अभियुक्तों 1—सुरेश 2—सर्वेश 3—पिंकू 4—अशोक उर्फ छोटू 5—राजू 6—हरीश 7—जगदीश 8—नीरज को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 72 हजार 150 रूपये नगद, चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण, 03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली सदर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया, आभूषण चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त सर्वेश के विरूद्ध जनपद खीरी के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग, अभियुक्त पिंकू व अशोक उर्फ छोटू के विरूद्ध जनपद खीरी के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 05–05 अभियोग, अभियुक्त राजू के विरूद्ध जनपद खीरी के विभिन्न थानो में डकैती, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग, अभियुक्त हरीश के विरूद्ध जनपद खीरी के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 04 अभियोग, अभियुक्त जगदीश, नीरज व सुरेश के विरूद्ध जनपद खीरी के विभिन्न थानो में चोरी आदि के कई अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली सदर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–सुरेश निवासी ग्राम खगियापुर गढपुरवा थाना कोतवाली धौरहारा जनपद खीरी।

2–सर्वेश निवासी ग्राम नयापुरवा थाना कोतवाली धौराहरा जनपद खीरी।

3–पिंकू निवासी ग्राम नयापुरवा थाना कोतवाली धौराहरा जनपद खीरी।

4–अशोक उर्फ छोटू निवासी ग्राम नयापुरवा थाना कोतवाली धौराहरा जनपद खीरी।

5–राजू निवासी ग्राम चहमलपुर थाना खमरिया जनपद खीरी।

6–हरीश निवासी ग्राम खगियापुर गढपुरवा थाना कोतवाली धौरहारा जनपद खीरी।

7–जगदीश निवासी महाराजनगर थाना धौरहरा जनपद खीरी।

8–नीरज निवासी ग्राम मुढिया थाना ईशानगर जनपद खीरी।

<u>बरामदगी</u>

1–चोरी के 72 हजार 150 रूपये नगद।

2–चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

3–03 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4–घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन।

जनपद बाराबंकी/थाना देवा

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **22 हजार 500 रूपये नगद**
- **03 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 19.07.2024 को थाना देवा, थाना घुंघटेर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मित्तई नहर पुल के पास से 04 अभियुक्तों 1–धर्मेन्द्र कुमार 2–नौशाद 3–सूरज 4–इस्माइल को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण, 22 हजार 500 रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि थाना देवा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना देवा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त धर्मेन्द्र कुमार के विरूद्ध जनपद बाराबंकी, खीरी, कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 09 अभियोग, अभियुक्त नौशाद के विरूद्ध जनपद सीतापुर, बहराइच, कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, धोखाधड़ी आदि के 04 अभियोग एवं अभियुक्त इस्माइल के विरूद्ध जनपद बाराबंकी, सीतापुर, कमिश्नरेट लखनऊ के विभिन्न थानो में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के एक दर्जन अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना देवा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—धर्मेन्द्र कुमार निवासी ग्राम सरपतहा थाना पडुहा जनपद लखीमपुर खीरी।

2—नौशाद निवासी ग्राम मोमतिया बेहड थाना पडुहा जनपद लखीमपुर खीरी।

3—सूरज निवासी लौकिहा थाना फूल बेहड जनपद लखीमपुर खीरी।

4—इस्माइल निवासी ग्राम चांदपुर लुधौनी थाना रामपुर मथुरा जनपद सीतापुर।

बरामदगी

1—चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण।

2—22 हजार 500 रूपये नगद।

3—03 मोबाइल फोन।

4—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

कमिश्नरेट आगरा/थाना जगदीशपुरा

- **01 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **चोरी के सोने—चॉदी के आभूषण**
- **चोरी के 01 लाइसेन्सी राइफल**
- **चोरी के 01 एलईडी टीवी आदि बरामद**

दिनॉकः 19.07.2024 को थाना जगदीशपुरा पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर रघुवीरपुरम कालोनी गढ़ी भदौरिया के पास से अभियुक्त रितेश उर्फ शम्मी को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने—चॉदी के आभूषण, 01 लाइसेन्सी राइफल, 01 एलईडी टीवी आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना जगदीशपुरा क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना जगदीशपुरा पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण का प्रयास किया जा रहा था। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद आभूषण, लाइसेन्सी राइफल आदि उक्त घटना से सम्बन्धित हैं।

इस सम्बन्ध में थाना जगदीशपुरा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–रितेश उर्फ शम्मी निवासी रघुवीरपुरम कालोनी गढ़ी भदौरिया थाना जगदीशपुरा, आगरा।

बरामदगी

1–चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण।

2–चोरी के 01 लाइसेन्सी राइफल।

3–चोरी के 01 एलईडी टीवी आदि।

जनपद अलीगढ़/थाना सिविल लाइन

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 05 दो पहिया वाहन व 04 वाहनों के पुर्जे**
- **घटना में प्रयुक्त कार बरामद**

दिनॉकः 18.07.2024 की रात्रि थाना सिविल लाइन व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर फिरदौसनगर के सामने बरौला की तरफ जाने वाली सड़क के किनारे पड़े खाली मैदान से 03 अभियुक्तों 1–नसरूद्दीन 2–शहबाज उर्फ राजू 3–सरफराज उर्फ शानू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के 05 दो पहिया वाहन व 04 वाहनों के पुर्जे, घटना में प्रयुक्त कार बरामद हुयी।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त सरफराज उर्फ शानू के विरूद्ध जनपद अलीगढ़ थाना सिविल लाइन पर वाहन चोरी आदि के कई अभियोग पंजीकृत हैं।

इस सम्बन्ध में थाना सिविल लाइन पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–नसरूद्दीन निवासी पटवारी नगला थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़।

2–शहबाज उर्फ राजू निवासी एलडीए कालोनी झलकारी नगर थाना देहलीगेट जनपद अलीगढ़।

3–सरफराज उर्फ शानू निवासी गली नं0–3 नगला पटवारी थाना क्वार्सी जनपद अलीगढ़ मूल निवासी मोहल्ला कूचा दायम थाना अलीगंज जनपद एटा।

बरामदगी

1–चोरी के 05 दो पहिया वाहन व 04 वाहनों के पुर्जे ।

2–घटना में प्रयुक्त कार।

जनपद बुलन्दशहर/थाना नरौरा

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 50 लाख रूपये कीमत के 04 किलो 371 ग्राम अवैध अफीम बरामद**

दिनॉकः 18.07.2024 की रात्रि थाना नरौरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 02 अभियुक्तों 1–श्यामीर 2–पप्पू को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 50 लाख रूपये कीमत के 04 किलो 371 ग्राम अवैध अफीम बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना नरौरा पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–श्यामीर निवासी सल्लन नगर बनावर जनपद बदायूं।

2–पप्पू निवासी सल्लन नगर बनावर जनपद बदायूं।

बरामदगी

1–लगभग 50 लाख रूपये कीमत के 04 किलो 371 ग्राम अवैध अफीम।

- **जनपद अमरोहा/थाना अमरोहा देहात (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 21 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद अमरोहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद अमरोहा द्वारा थाना अमरोहा देहात पर पंजीकृत अभियोग में धारा 376/323/352 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अनिल को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 21 हजार 500 रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।